अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 487(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं0 **का0** आ0 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय, पुलिस स्टेशन के पीछे, राष्ट्रीय राजमार्ग 8-ए, भचाऊ-कच्छ, गुजरात-370140" द्वारा "भराचा, कच्छ और हलवाद केंद्र सुरेंद्र नगर में लड़कियों के लिए छात्रावास, अनाथ आश्रम, विकलांग बच्चों के लिए सेंटर के आवर्ती व्यय" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 28 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 30.12.2010 की अधिसूचना सं० **का0**आ० 3063 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 30 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना सं० **का0**आ० 3063 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को '1.43 करोड़ रू0' से बढ़ाकर '50 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 2.58 करोड़ रू0' कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम

11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय, पुलिस स्टेशन के पीछे, राष्ट्रीय राजमार्ग 8-ए, भचाऊ-कच्छ, गुजरात-370140" द्वारा चलाई जा रही "भराचा, कच्छ और हलवाद केंद्र सुरेंद्र नगर में लड़कियों के लिए छात्रावास, अनाथ आश्रम, विकलांग बच्चों के लिए सेंटर के आवर्ती व्यय" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए 50 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 2.58 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 बीत चुका है अत: धारा 35 क ग के तहत उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी।

[सं. 117/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)